

ORDER SHEET

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक—1248 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध रंजीत उर्फ राजीव

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	signature of Parties or Pleaders where necessary
24-12-2014	<p>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के प्रभावशील कार्य विभाजन के आदेशनुसार आरक्षी केन्द्र बैहर के अपराध क्रमांक 155 / 14, धारा—294, 323, 506 भादंवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में थाना प्रभारी की ओर से ईगल मरकाम क्रमांक—814 ने यह अभियोग पत्र सह प्रपत्र (क्रमांक 01 से 11 तक) अभियुक्त—राजीव उर्फ रंजीत पिता लक्ष्मण प्रसाद भोण्डेकर, आयु 32 साल, निवासी कटंगी, थाना बैहर, जिला बालाघाट के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।</p> <p>राज्य द्वारा सुश्री ठाकुर ए0डी0पी0ओ।</p> <p>अभियुक्तगण की ओर से श्री योगेन्द्र अधिवक्ता ने उपस्थिति ज्ञापन प्रस्तुत किया।</p> <p>अभियोग पत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अभियुक्तगण के अधिवक्ता को अभियोग पत्र की पठनीय प्रतियां प्रदान की गई।</p> <p>प्रकरण का अभिलेख केन्द्रीय पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयक लिपिक को भेजा जावे।</p> <p>प्रकरण से संबंधित संपत्ति पेश नहीं।</p> <p>प्रार्थी आशाबाई स्वतः उपस्थित।</p> <p>श्री योगेन्द्र बिसेन ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320 एवं 320(2) दं0प्र0सं0 का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थिया आशाबाई एवं आरोपी आपस में पति—पत्नि है ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दवाब के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है तथा प्रार्थिया की पहचान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र बिसेन द्वारा की गई।</p> <p>आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादंवि के अंतर्गत अपराध का आरोप है। आरोपी के विरुद्ध अपराध का शमन किये जाने हेतु प्रार्थिया सक्षम पक्षकार है। आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का</p>	

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी राजीव उर्फ रंजीत को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं।</p> <p>प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट</p>	

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p> <p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p>	